विकास विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ०ग०)

/ / द्वितीय निविदा सूचना / /

विश्वविद्यालय की पुरानी उत्तर–पुस्तिकाएँ, रद्दी कागज विक्रय हेतु द्वितीय निविदा।

क्र.598/विकास/2024 **रायपुर, दिनांक 05/09/2024**

विश्वविद्यालय की पुरानी उत्तर–पुस्तिकाएँ, रद्दी कागज, लिफाफे, पैकिंग मटेरियल, बैठन की रद्दी, 'जहाँ है जैसा है' विक्रय हेतु स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/कोरियर के माध्यम से सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। विश्वविद्यालय के विकास विभाग में आवेदन के साथ निविदा फर्म. की राशि रू.1000.00 (एक हजार मात्र) का रसीद/डी.डी. प्रस्तुत कर कार्यालयीन दिवस में निविदा फार्म प्राप्त कर सकते है। निविदा के साथ अमानत राशि रू.60,000.00 (साठ हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur के नाम से संलग्न करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के विकास विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

निविदा प्रपत्र विक्रय स्थल	–	विकास विभाग, पं.रविशंकर शुक्ल वि0वि0, रायपुर
निविदा विक्रय की अंतिम तिथि	–	दिनांक 24/09/2024 अपरान्ह् 04:00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	–	दिनांक 26/09/2024 सायं 03:00 बजे तक (रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा ही मान्य)
निविदा खोलने की तिथि	–	दिनांक 26/09/2024 अपरान्ह 04:00 बजे
निविदा खोलने का स्थान	–	कुलपति सभागार, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर

टीप:– www.prsu.ac.in वेबसाइट से प्राप्त निविदा प्रपत्र रू.1000.00 के बैंक ड्राफ्ट संलग्न करने पर ही मान्य होगा। प्रथम निविदा सूचना क.496/विकास/2024 रायपुर, दिनांक 18/07/2024

कुलसचिव

REGISTRAR
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR (Chhattisgarh)

फार्म नं. .... रसीद क. ....

दिनांक ....

फार्म का मूल्य रू.1000=00

	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग) विकास विभाग	

नियम एवं शर्तें –

01. निविदा प्रपत्र राशि रू.1000.00 (रूपये एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/डी.डी./रसीद।
02. संबंधित फर्म द्वारा अमानत राशि (EMD) रू.60,000=00 (साठ हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur के नाम से तैयार कर संलग्न करना होगा।
03. संबंधित फर्म द्वारा जीएसटी नंबर एवं पैन नंबर संबंधी पत्र की छायाप्रति/फोटोकापी जमा करना अनिवार्य हैं।
04. संबंधित फर्म को रद्दी क्रय करने के संबंध में छ.ग. के शासकीय विभाग के रद्दी क्रय का 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें।
05. फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या गुमास्ता प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
06. संबंधित फर्म का पिछले 03 वर्षो का कर निर्धारण वर्ष 2021–2022, 2022–2023 एवं 2023–2024 का आयकर रिटर्न की छायाप्रति लगाना अनिवार्य हैं।
07. फर्म का विगत 03 वर्षो का औसत राशि रू.50=00 लाख का टर्नओवर चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
08. Black Listed (काली सूची) में न होने का शपथ–पत्र संलग्न करे।
09. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र **02 लिफाफें क्रमशः "अ"(टेक्निकल बीड) एवं "ब" (फायनेंसियल बीड)** में प्रस्तुत करना होगा, **लिफाफा "अ"** में टेक्निकल बीड जिसमें चाही गई दस्तावेज तथा **अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट** जो Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur के नाम से देय होगा संलग्न करना अनिवार्य होगा। **तदानुसार लिफाफे के ऊपर लिखा जाएगा। लिफाफा "ब"** में **फाइंनेंसियल बीड** जिसमें प्रत्येक प्रकार की रद्दी की दरें, पृथक–पृथक दर्शित होगी, प्रस्तुत करना होगा। **इन दो "अ" एवं "ब" लिफाफो को एक लिफाफे जिसमे "पुरानी उत्तर–पुस्तिकाएँ एवं रद्दी कागज विक्रय संबंधी द्वितीय निविदा प्रपत्र" लिखा हो उसे भीतर रखकर प्रस्तुत करना होगा । सर्वप्रथम टेक्निकल बीड वाला लिफाफा "अ" खोला** जावेगा । आवश्यक दस्तावेज सही पाये जाने पर ही निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत **फायनेंसियल बीड** वाला लिफाफा **"ब"** खोला जावेगा अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा।
10. दर स्वीकृत होने के पश्चात् रू० पचास के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा तथा किए गए अनुबंध के अनुसार ही रद्दी उठाने की कार्यवाही की जावेगी।
11. अनुबंध एक वर्ष के लिए मान्य होगा (अनुबंध तिथि से) तथा कार्य संतोषजनक होने पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। (अधिकतम 03 वर्ष) (1+2)

फार्म नं. ....

रसीद क्र. ....
दिनांक ....
फार्म का मूल्य रू.1000=00

	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग) विकास विभाग	

12. रद्दी बेचने से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही विश्वविद्यालय के विक्रय नियम के अनुसार गठित समिति के नियंत्रण में की जाएगी।

13. स्वीकृत दर के अनुसार संपूर्ण रद्दी उठाने के बाद ही फर्म को अमानत राशि वापस की जाएगी।

14. छ.ग. भंडार क्रय नियम 2002 के उपनियम 4.2 के अनुसार "निविदा की शर्तों का निर्धारण क्रेता द्वारा किया जाएगा। परन्तु छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्ट–अप, जैसा कि औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–1 परिभाषा में अनुक्रमांक 54 पर परिभाषित है तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने के दिनांक को भारत सरकार की वेबसाईट पर वैध पाया गया है, को निविदा प्रक्रिया में निम्नानुसार लाभ प्राप्त होंगे –

1. पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी ।
2. उस पर पूर्व टर्नओवर संबंधी कोई शर्त अधिरोपित नहीं होगी।

15. छ.ग. भंडार क्रय नियम 2002 के उपनियम 4.7(ब) एवं 4.7(स) के अनुसार प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है, के साथ ही छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्टअप, जैसा की औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–1 परिभाषा में अनुक्रमांक–54 पर परिभाषित है तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाइट पर वैध पाया गया है तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, को उसका परीक्षण कर उन्हे शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय अमानत राशि (ईएमडी) जमा करने से छूट दी जायेगी। इकाईयों द्वारा उपरोक्त आशय का प्रमाण, टेण्डर के साथ प्रस्तुत करने पर ही उन्हे छूट प्राप्त होगी।

16. ट्रक में रद्दी भरवाने के पूर्व फर्म को अनुमानित राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा करना होगा।

17. अनुबंध की तिथि से 30 दिन के अंदर सम्पूर्ण रद्दी "जहाँ है, वहां से" उठाना होगा।

18. वि.वि. द्वारा विक्रय हेतु उपलब्ध कराये गये रद्दी कागज (दस्तावेज) किसी भी बाहरी व्यक्ति के पास पाये जाने पर संबंधित फर्म के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करते हुए किये गये अनुबंध को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जावेगा।

19. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में कुलपति जी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

20. न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र उच्च न्यायालय बिलासपुर रहेगा।

टीप :– निविदा पत्र को सावधानीपूर्वक पढ़कर, निर्धारित सभी योग्यता पूर्ण करने वाले व्यक्ति या फर्म, निविदा को निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय में जमा करावे, आधे अधूरे, अपूर्ण निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन के भण्डार क्रय नियमों के प्रावधान भी प्रभावशील होंगे।

कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

विकास विभाग

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

फार्म नं. ....

रसीद क्र. ....
दिनांक ....
फार्म का मूल्य रू.1000=00

	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग) **विकास विभाग**	

विश्वविद्यालय की पुरानी उत्तर–पुस्तिकाएँ, रद्दी कागज विक्रय हेतु द्वितीय निविदा का तकनीकी बीड।

01	निविदा प्रपत्र राशि रू.1000.00 (रूपये एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट / डी.डी. / रसीद	
02	अमानत राशि रू.60,000=00 (साठ हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट / डी.डी.।	
03	पेन कार्ड की छायाप्रति	
04	GST रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति	
05	फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या गुमास्ता प्रमाण पत्र की छायाप्रति।	
06	फर्म को रद्दी क्रय करने के संबंध में छ.ग. के शासकीय विभाग के रद्दी क्रय का 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें।	
07	फर्म का पिछले 03 वर्षो का कर निर्धारण वर्ष (2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) के आयकर रिटर्न की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।	
08	फर्म का विगत 03 वर्षो का औसत राशि रू.50=00 लाख का टर्नओवर चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।	
09	Black Listed (काली सूची) में न होने का शपथ–पत्र संलग्न करे।	

आमंत्रित निविदा की पूरी नियमों एवं शर्तो को पूर्णतः पढ़ लिया है तदानुसार हम सभी नियमों एवं शर्तो से सहमत है।

हस्ताक्षर

(फर्म का सील)

फर्म का नाम..

विकास विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

फार्म नं. ....

रसीद क्र. ....
दिनांक ....
फार्म का मूल्य रू.1000=00

	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग) विकास विभाग	

/विश्वविद्यालय की पुरानी उत्तर–पुस्तिकाएँ, रद्दी कागज विक्रय हेतु द्वितीय निविदा का फायनेंसियल बीड/

प्रति,

कुलसचिव
पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ० ग०)

महोदय,

मैं व्यवस्थापक (फर्म का नाम) .... स्थान एवं पूर्ण पता .... पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा विज्ञापित रद्दी कागज के विक्रय हेतु नीचे लिखे अनुसार दर प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। रद्दी क्रय हेतु निविदा प्रपत्र लेने के पूर्व मैंने कागज का नमूना एवं मात्रा का भली–भॉति अवलोकन कर लिया है तथा आपके द्वारा प्रस्तावित सभी शर्तें मुझे मान्य है।

क्र0	रद्दी कागजों का विवरण	दर (प्रति कि.ग्रा.)
01.	पुरानी उत्तर–पुस्तिकाएँ, पुराने प्रश्न–पत्र (प्रथम श्रेणी)	अंको में रू० .... शब्दों में रू. ....
02.	रद्दी कागज (पुराने परीक्षा फॉर्म, पुराने अखबार, पुस्तक एवं पत्रिका) (द्वितीय श्रेणी)	अंको में रू० .... शब्दों में रू. ....
03.	लिफाफे, पैकिंग मटेरियल, बैठन की रद्दी (तृतीय श्रेणी)	अंको में रू० .... शब्दों में रू. ....

टीप :– मैंने पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में अमानत राशि रू० 60,000.00 (रू० साठ हजार मात्र) विश्वविद्यालय रसीद क्रमांक .... दिनांक .... के द्वारा नगद/बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक .... के द्वारा जमा करा दिया है।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर ....
फर्म का नाम ....
एवं पता ....
फोन/मोबाईल नं० ....
(फर्म का सील)

विकास विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

फार्म नं. ....

रसीद क्र. ....
दिनांक ....
फार्म का मूल्य रू.1000=00

	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग) विकास विभाग	

// घोषणा–पत्र //

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से क्रय किए गए पुरानी उत्तर–पुस्तिकाएँ, रद्दी कागज, लिफाफे, पैकिंग मटेरियल एवं बैठन की रद्दी मिल में .... (मिल का नाम) प्रदाय कर पल्प बनाने की घोषणा करता हूँ। रद्दी खरीदने के उपरान्त उसका उपयोग केवल लुगदी तैयार करने हेतु किया जावेगा।

हस्ताक्षर ....
फर्म का नाम ....
एवं पता ....
फोन/मोबाईल नं० ....
(फर्म का सील)

————————